

~ 1 ~

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, दो सदस्यीय पीठ—देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,
विपिन चन्द्र.....सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 17 / 2025 (2015-2016) धारा 9(2)

सर्वश्री फाईजर लि० गोडाउन न०.5, एच०सी०एल० कम्पाउण्ड, निरंजनपुर, देहरादून।

बनाम

आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवम गोयल.....अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से: श्री भुवन चन्द्र पाण्डे..... राज्य-प्रतिनिधि।

—: निर्णय :-

विपिन चन्द्र, सदस्य

प्रस्तुत द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, अपीलार्थी सर्वश्री फाईजर लि० गोदाम न०. 5, एच०सी०एल० कम्पाउण्ड, निरंजनपुर, देहरादून (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड, मुख्यालय, देहरादून (जिसे आगे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या संख्या-278/2024 (वर्ष 2015-16, धारा 9(2)) में पारित किये गये आदेश दिनांक 21-11-2024, सपटित धारा 30 दिनांक 05/03/2025 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 17-05-2025 को दायर की गयी है। प्रस्तुत अपील में विवादित कर की राशि रु० 8,10,840 /- निहित है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/व्यापारी, विभाग में दवाईयों की खरीद बिक्री हेतु पंजीकृत है। संगत वर्ष हेतु व्यापारी के केंद्रीय वाद का कर निर्धारण केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत दिनांक 23/05/2019 को पारित किया गया था, जिसमें कुल केंद्रीय बिक्री रु० 18,40,94,628/- में से रु० 4,14,33,910/- को फार्म एफ से आच्छादित मानते हुए उक्त पर कर मुक्ति प्रदान की गयी थी तथा रु० 13,97,21,638/- के संव्यवहार जिनके संबंध में फार्म एफ प्राप्त नहीं हो पाये थे, पर 5 प्रतिशत की दर से रु० 69,86,082/- कर आरोपित किया गया था। उक्त के अतिरिक्त रु० 29,39,080/- के संव्यवहार ऐसे थे, जिनके संबंध में व्यापारी द्वारा फार्म एफ की डुप्लीकेट प्रतियां दाखिल की गयी थी, जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार न करते हुए उक्त पर भी 5 प्रतिशत की दर से रु० 1,46,954/- कर आरोपित किया गया था। इस प्रकार केंद्रीय वाद हेतु कुल रु० 71,33,036/- कर आरोपित किया गया था।

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की गयी। प्रस्तुत प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21-11-2024 सपठित धारा 30 दिनांक 05/03/2025 से आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। व्यापारी द्वारा 8 फार्म एफ रु0 1,40,68,736/- दिनांक 02/09/2023 को कर निर्धारण कार्यालय में कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् जमा किये गये थे, का लाभ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यापारी को देय होने का मत व्यक्त करते हुए उक्त फार्मों की वैधानिक स्वीकार्यता एवं आच्छादित धनराशि की जांच किये जाने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये गये थे। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह माना गया कि उक्त फार्म समय से प्राप्त करना अपीलार्थी व्यापारी के नियंत्रण से बाहर था, तदनुसार उक्त फार्मों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त साक्ष्यों के रूप में प्रथम अपील में ग्रहण किये जाने योग्य माना गया है। अपीलार्थी व्यापारी द्वारा संगत वर्ष के माह अक्टूबर 2015 हेतु एक फार्म एफ क्रमांक 9003400001013237, रु0 31,73,068/- तथा माह मार्च 2016 हेतु एक फार्म एफ क्रमांक 9003400001013238, रु0 1,30,43,712/- हेतु अपनी असम स्थित शाखा से ऑनलाईन प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए उक्त दोनों फार्म एफ की छाया प्रतियां द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रकार अपीलार्थी व्यापारी द्वारा उक्त दोनों फार्म एफ जिनसे रु0 1,62,16,780/- की राशि आच्छादित है, को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने का अनुरोध करते हुए यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। व्यापारी द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संगत वर्ष में उनके द्वारा किया गया स्टॉक ट्रांसफर अभिलेखों से प्रमाणित है, अतः उक्त का लाभ फार्म एफ के अभाव में भी उन्हें प्रदान किया जा सकता था। कहा कि स्टॉक ट्रांसफर के संबंध में वांछित अवशेष फार्म एफ उनके द्वारा द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत कर दिये गये हैं, अतः उक्त का लाभ उन्हें प्रदान किया जा सकता है। अपील स्तर पर प्रस्तुत फार्म के स्वीकार किये जा सकने के संबंध में उनके द्वारा अपने पक्ष में कतिपय निर्णय (Ms. Larsen and Toubro Ltd. V/s Orissa Sales Tax Tribunal{2008(15) VST 484 ORI, Ms. Weir BDK Valves V/s The Assistant Commissioner of Commercial Taxes (Audit-1), Dharwad and Others{2015-VIL-248-Kar., Ms. Tata Global Beverages Limited V/s The Commercial Tax Officer, Valparai Coimbatore District {WP No. 2524 of 2015}) उद्धृत किये गये हैं। इस प्रकार व्यापारी द्वारा उक्त दो फार्म एफ एवं उक्त से आच्छादित धनराशि का लाभ उन्हें प्रदान किये जाने का अनुरोध करते हुए प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. सुनवाई हेतु नियत तिथि को व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम गोयल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि श्री भुवन चन्द्र पाण्डे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रश्नगत मामले में फार्म दाखिल करने में

अपीलार्थी व्यापारी के स्तर से किये गये अत्यधिक विलम्ब को उनकी लापरवाही एवं विधिक प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने की मंशा को परिलक्षित करने वाला कृत्य होने का उल्लेख करते हुए दायर द्वितीय अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाद के संदर्भ में अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

“क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत दो फार्म एफ राशि रु0 1,62,16,780/- को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं?”

6. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि संगत वर्ष हेतु व्यापारी की लेखा पुस्तकें स्वीकार करते हुए समस्त घोषित केंद्रीय बिक्री कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये हैं। कर निर्धारण के स्तर पर फार्म एफ से अनाच्छादित स्टॉक ट्रांसफर के संबंध में व्यापारी द्वारा कुल 8 फार्म एफ रु0 1,40,68,736/- प्रथम अपील स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य माना गया है, जिनका लाभ व्यापारी को प्रदान किये जाने के निर्देश प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये हैं। द्वितीय अपील स्तर पर दाखिल किये गये दो फार्म एफ रु0 1,62,16,780/- व्यापारी प्रथम अपील स्तर पर प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, का लाभ व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील में मांगा जा रहा है। व्यापारी द्वारा कहा गया है कि उक्त फार्म प्राप्त करना उनके नियंत्रण से बाहर था तथा उक्त को प्राप्त करने के लिए उनके स्तर से भरसक प्रयत्न किये गये थे। वाद के तथ्यों से यह प्रमाणित है कि वास्तव में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में समस्त संव्यवहार स्टॉक ट्रांसफर से ही संबंधित किये गये हैं, जिनकी जांचोंपरांत ऐसा कोई तथ्य कर निर्धारण के स्तर पर प्रकाश में नहीं आया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि कोई संव्यवहार विशेष स्टॉक ट्रांसफर से संबंधित न होकर केंद्रीय बिक्री से संबंधित है। इन संव्यवहारों पर कर केवल इस आधार पर निर्धारित किया गया है, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर से संबंधित इन संव्यवहारों को व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय फार्म एफ से आच्छादित नहीं किया जा सका था। वाद के तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहार स्टॉक ट्रांसफर से ही संबंधित हैं। अतः उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तथा व्यापारी के इस तर्क कि वह यथोचित प्रयास के पश्चात् भी प्रश्नगत फार्म कर निर्धारण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, को किसी अन्य प्रतिकूल तथ्य/सूचना/प्रमाण/साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित होगा। इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि यदि द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत इन फार्म एफ को व्यापारी द्वारा प्रथम अपील स्तर पर प्रस्तुत कर दिया जाता एवं उक्त दोनों फार्मों का लाभ भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी को प्रदान कर दिया जाता, तो उक्त के संबंध में कोई द्वितीय अपील विभाग द्वारा नहीं की

जाती, क्योंकि जिन 8 फार्म एफ 1,40,68,736/- का लाभ प्रथम अपील स्तर पर व्यापारी को दिया गया है, के संबंध में विभाग द्वारा कोई द्वितीय अपील योजित नहीं की गयी है। व्यापारी द्वारा वैध संव्यवहारों के संबंध में वैध फार्म एफ प्रस्तुत किये जाने के आधार पर ही विभाग द्वारा द्वितीय अपील दायर नहीं की गयी है। उक्त के अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर जांचोंपरांत यह पाया जाता है कि अपील स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत फार्म एफ वैध नहीं हैं, तो उक्त का लाभ व्यापारी को नहीं मिलेगा। उक्त फार्म एफ से आच्छादित किये गये केंद्रीय संव्यवहारों पर व्यापारी की कर देयता बनी रहेगी, अर्थात् प्रश्नगत मामले में कोई राजस्व क्षति जैसी स्थिति भी नहीं है। अतः संगत वर्ष के संबंध में अपीलार्थी व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत उक्त दोनों फार्म एफ रु0 1,62,16,780/- अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने योग्य हैं, तदनुसार उक्त के संबंध में व्यापारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि वह द्वितीय अपील स्तर पर प्रस्तुत दोनों फार्म एफ की वैधानिक स्वीकार्यता एवं आच्छादित धन राशि के संबंध में विधि अनुसार यथा अपेक्षित जांच कर उक्त के सही पाये जाने पर इन दोनों फार्मों का लाभ व्यापारी को प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

—: आदेश ::—

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 17/2025 (2015-2016) धारा 9(2) स्वीकार की जाती है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष के माह अक्टूबर 2015 हेतु प्रस्तुत फार्म एफ क्रमांक 9003400001013237, रु0 31,73,068/- तथा माह मार्च 2016 हेतु प्रस्तुत फार्म एफ क्रमांक 9003400001013238, रु0 1,30,43,712/- के संबंध में वाद पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि उक्त दोनों फार्म एफ जांचोंपरांत सही पाये जाते हैं, तो उक्त फार्मों का लाभ व्यापारी को प्रदान किया जाएगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0-02/08/2025

(विपिन चन्द्र)

सदस्य,

वाणिज्य कर अपील अधिकरण,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

कैम्प-देहरादून।

ह0/दि0-02/08/2025

(मलिक मजहर सुलतान)

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अपील अधिकरण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 2 अगस्त, 2025



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>